

अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान  
ALL INDIA INSTITUTE OF MEDICAL SCIENCES  
[भर्ती प्रकोष्ठ/ RECRUITMENT CELL]

फ.सं. 2-10/2025- स्था.(भर्ती प्रकोष्ठ)/Estt. (RCT)

अंसारी नगर, नई दिल्ली-110029

Ansari Nagar, New Delhi-110029

दिनांक/Dated **01 SEP 2025**

**कार्यालय आदेश /OFFICE ORDER**

**विषय:** अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान, नई दिल्ली में मुख्य तकनीकी अधिकारी (ओटी) के पद पर पदोन्नति।  
**Subject:-** Promotion to the post of Chief Technical Officer (OT) at the AIIMS, New Delhi.

\*\*\*\*\*

दिनांक 15.05.2025 को मुख्य तकनीकी अधिकारी (ओटी) के पद हेतु विभागीय पदोन्नति समिति मीटिंग की सिफारिश के परिणाम स्वरूप और सक्षम अधिकारी की स्वीकृति के अनुसार, निम्नलिखित वरिष्ठ टेक्नोलॉजिस्ट (ओटी) को पे मेट्रिक्स के लेवल-8 में मुख्य तकनीकी अधिकारी (ओटी) के पद का पदभार ग्रहण करने की तिथि से पदोन्नत किया जाता है:-

Consequent upon the recommendations of the Departmental Promotion Committee for the post of Chief Technical Officer (OT) held on 15.05.2025 and its acceptance by the Competent Authority, the following Senior Technical Officer (OT) is promoted to the post of Chief Technical Officer (OT) in Level-8 of the Pay Matrix from the date they assumes the charge of the post of Chief Technical Officer (OT):-

क्र.स. S.No.	नाम/Name	श्रेणी/ Category	चयनित की गई श्रेणी/ Selected against the category	विभाग/ Department
01.	Sh. Shyam Sunder Bhardwaj	UR	UR	National Centre of Ageing
02.	Sh. Gaj Raj Singh Bansal	UR	UR	Mother & Child Block

उपरोक्त वर्णित वरिष्ठ टेक्नीकल ऑफिसर (ओ.टी) की मुख्य तकनीकी अधिकारी (ओटी) के पद पर इनकी वरिष्ठता रिक्ति की तिथि (01.09.2025) से प्रभावित होगी।

The Seniority of above employees in the post of Chief Technical Officer (OT) will be effective from the date of vacancy 01.09.2025

वे दिल्ली/नईदिल्ली/ बडसा, झज्जर /एन.डी.डी.टी.सी., गाज़ियाबाद /एन.सी.आई झज्जर हरियाणा और वर्तमान में बल्लभगढ़ में स्थित रुरल केन्द्र या भविष्य में संस्थान द्वारा खोले गए अन्य केन्द्रों में कार्यरत कर्मचारियों को समय-समय पर स्वीकृत किए जाने वाले भत्तों के हकदार होंगे।

They will be entitled to such other allowances as are admissible from time to time to the Institute Employees of their status stationed at Delhi/New Delhi/NDDTC, Ghaziabad/Outreach OPD, Jhajjar/NCI Jhajjar, Haryana and in the rural center presently located at Ballabhgarh (Haryana) and at any other centre opened by the Institute in future.

उन्हें यह सलाह दी जाती है कि वे इस कार्यालय आदेश के जारी होने के एक माह के अंदर अपने वेतन को एफ.आर.22(1) के अंतर्गत पदग्रहण करने की तिथि अथवा वर्तमान पद पर अगली वेतनवृद्धि पाने की तिथि से निर्धारित करने का विकल्प चुने बशर्ते उन्हें आश्वस्तित वृत्ति प्रगति योजना/संशोधित आश्वस्तित वृत्ति प्रगति योजना के अन्तर्गत वित्तीय उन्नति प्रदान नहीं किया गया।

Cont.2



They are advised to exercise their option for fixation of their pay under FR-22(I) either from the date of their promotion to the post or from the date of drawl of their next increment in the present post within one month from the date of issue of this office order, provided they have not been granted financial up-gradation under ACP/MACP Scheme.

इनकी सेवाएँ वर्तमान में बल्लभगढ़ (हरियाणा) में स्थित ग्रामीण परियोजना, राष्ट्रीय औषध निर्भरता उपचार केंद्र (गाज़ियाबाद), एन सी आई झज्जर तथा संस्थान द्वारा भविष्य में खोले जाने वाले किसी भी अन्य केंद्र में स्थानांतरीय है। उन्हें शिफ्ट में सेवा देने के लिए भी कहा जा सकता है।

Their services are transferable to the other centre facilities presently located at Ballabhgarh (Haryana), National Drugs Dependency Treatment Centre (Ghaziabad), National Cancer Institute, Bhadsa, Jhajjar and at any other centre/facilities which may come up in future. They can be asked to perform duties in shifts also.

इनकी सेवा की अन्य शर्तें जोकि संस्थान में कार्यरत अन्य सभी कर्मचारियों पर लागू हैं, पूर्वानुसार ही रहेंगी।

Other terms and conditions of their service will be the same as are applicable to other employees of the Institute.

यह कार्यालय आदेश माननीय सर्वोच्च न्यायालय के समक्ष लंबित SLP संख्या 30621/2011 और अन्य जुड़े मामले के परिणाम या इस सम्बन्ध में DOPT से जारी किसी भी अन्य स्पष्टीकरण के अधीन है।

This Office order would be subject to outcome of the SLP No. 30621/2011 and other connecting matter pending before the Hon'ble Supreme Court or any other clarification issued from the DoPT in this regard.

[के.सी. भट्ट/K.C.BHATT]

प्रशासनिक अधिकारी/ADMINISTRATIVE OFFICER

संबंधित व्यक्ति/Person Concerned

द्वारा/Thr:- चिकित्सा अधीक्षक, मुख्य अस्पताल

Medical Superintendent, Main Hospital

प्रतिलिपि/Copy to:-

- 1) चिकित्सा अधीक्षक, मुख्य अस्पताल  
Medical Superintendent, Main Hospital
- 2) प्रशासनिक अधिकारी- अस्पताल/ मातृ एवं शिशु विभाग  
Administrative Officer: - Hospital/ Mother & Child Block
- 3) स्थापना अनुभाग -अस्पताल/ मातृ एवं शिशु विभाग  
Establishment Section - Hospital/Mother & Child Block
- 4) लेखाअनुभाग:- II & III  
Accounts Section:- II & III
- 5) सामान्यअनुभाग/सम्पदाअनुभाग/विधिप्रकोष्ठ/सामान्यभविष्यनिधिअनुभाग/सतर्कताप्रकोष्ठ  
General Section / Estate Section / Legal Cell / GPF Section / Vigilance Cell
- 6) वार्षिक गोपनीय रिपोर्ट प्रकोष्ठ/अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति प्रकोष्ठ  
ACR Cell / SC/ST Cell
- 7) प्रोफेसरइंचार्ज, कंप्यूटर सुविधा - कृपया इस कार्यालय आदेश को संस्थान की वेबसाइट पर अपलोड करें। Professor-in-charge Computer Facility - kindly upload the same on the Institute website